# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

**पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)**

अपील सं. 03 / 2025 दर्ज दिनांक–17.03.2025
जीएमएस नं. –2025 / 132

दुर्गासिंह पुत्र स्व. ठा. भीमसिंह मण्डावा जाति राजपूत निवासी मण्डावा गढ, मण्डावा जिला झुझुंनू

– अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ ,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. सचिव ग्राम पंचायत सैनी नगर, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री सुरेश कुमार सैनी, श्री राजकुमार सैनी
वकील रेस्पोडेन्ट :– अनुपस्थित

**अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.टी.ए. विरूद्व नामान्तकरण आदेश सं. 872 दिनांक 06.03.2025 ग्राम पंचायत सैनी नगर ,पटवार हल्का नवलडी, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू बाबत् विरासत नामान्तकरण दर्ज करने ।**

:: निर्णय ::

**निर्णय दिनांक 02.06.2025**

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, अपीलान्ट की पुस्तैनी कृषि भूमि गांव सैनी नगर में खसरा नं. 306 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 307 रकबा 0.45 है0, ख.नं. 308 रकबा 0.75 है0, ख.नं. 309 रकबा 0.75 है0, ख.नं. 355 रकबा 0.10 है0 व ख.नं. 356 रकबा 0.90 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.00 है0 भूमि अपीलान्ट के दादा स्व. ठाकुर इन्द्रसिंह पुत्र ठा. जैतसिंह के नाम दर्ज है। अपीलान्ट के दादा मण्डावा व नवलगढ के ठिकानेदार रहे हैं। अपीलान्ट ने अपने नाम से विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए दिनांक 06.11.2024 को तहसीलदार नवलगढ के समक्ष आवेदन पत्र मय दस्तावेज अपीलान्ट का शपथ पत्र ,पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र ,वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार नवलगढ ने दिनांक 09.12.2024 को जरिये आदेश कमांक/भू.अ./5701 तहसीलदार मण्डावा को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जिसमें पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट व वारिसान की जांच आदि कर तहसीलदार मण्डावा ने तहसीलदार नवलगढ को रिपोर्ट प्रेषित की। विरासत के नामान्तकरण में ठा. इन्द्रसिंह की जगह उसके विधक वारिसान दुर्गासिंह अपीलान्ट का नाम दर्ज करना था लेकिन ग्राम पंचायत सैनी नगर ने अपीलान्ट का नामान्तकरण सं. 872 दिनांक 06.03.2025 को बिना किसी कारण , बिना किसी युक्तियुक्त कारण दर्शाये निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्व आदेश है। सरपंच ग्राम पंचायत सैनी नगर का आदेश विधि विरूद्व होने से खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर



उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निवेदन है कि ग्राम पंचायत सैनी नगर का उक्त आदेश नामान्तकरण सं. 872 दिनांक 06.03.2025 को निरस्त फरमावे तथा अपीलान्ट का विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

अपील पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद स्मयक तामील अनुपस्थित रहे है। बहस अपील एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि, ग्राम पंचायत सैनी नगर ने बिना कोई कारण प्रदर्शित किये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत सैनी नगर द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं. 872 दिनांक 06.03.2025 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, अपीलान्ट को सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर देते हुये, वारिसानों की विधिवत जॉच व सुनवाई करते हुये, विरासत की जॉच उपरान्त विधिसम्मत पाये जाने पर ही नामान्तकरण भरा जावे तथा तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुंझुंनू